उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या : /VII–A–2/2021/121–उद्योग/2007
देहरादून : दिनांक ८५ नवम्बर, 2021

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–11/औ0वि0/07–उद्योग/2004, दिनांक 27 जनवरी, 2004 तथा शासनादेश संख्या–940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05, दिनांक 09/10 नवम्बर, 2004 के द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी दिशा–निर्देशों के अधीन कार्यालय ज्ञाप संख्या–506/औ0वि0/07–उद्योग/2005–06, दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 एवं अधिसूचना संख्या–606/VII–II/09/121–उद्योग/2017, दिनांक 26 फरवरी, 2010 एवं अधिसूचना संख्या–1598/VII–II/121–उद्योग/07/2012, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 के क्रम में महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र–2602/उ0नि0/नि.औ.आ.–शिवगंगा/2021–22, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 एवं जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्र संख्या– 43/जि0भू0व्य0सहा0/2021 (विविध), दिनांक 31 अगस्त, 2021 के संदर्भ में मै0 शिवगंगा इण्डस्ट्रियल एस्टेट लकेशरी भगवानपुर तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत ग्राम–लकेशरी, परगना भगवानपुर, तहसील–रूड़की जनपद हरिद्वार के निम्नांकित तालिका के कॉलम–2 में अंकित खसरा नम्बरों, जो आस्थान से सम्बद्ध/निरन्तरता में है, को आस्थान के विस्तार के रूप में विकसित किये जाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 2(d) के अन्तर्गत अग्रलिखित शर्तों के अधीन अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल(है0 में)
ग्राम–लकेशरी, परगना भगवानपुर, तहसील–रूड़की, जनपद हरिद्वार।	08, 20, 21, 22, 23, 24	रकबई 1.215
	227	रकबई 0.2878
	कुल	**रकबई 1.5028**

1. अर्जित औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के साझेदार प्रवर्तक के नाम अभिलेखों में विनियमित हो चुकी है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
2. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध कराये जाने वाली अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में सभी स्पष्ट सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।
3. आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, ऊर्जा विभाग आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/ अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी यह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण कराई जायेंगी।
4. सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेल डीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

5. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा महानिदेशक–उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं करने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे, जिनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
6. प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के संबंध में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर, नियमित रूप से सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
7. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना निरस्त की जा सकती है।

2– उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 1121 (1)/VII–A–2/2021/121–उद्योग/2007, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा0 औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. संयुक्त सचिव,/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति सम्वर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
8. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, देहरादून।
9. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की हरिद्वार।
14. मै0 शिवगंगा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ग्राम लकेशरी, परगना भगवानपुर, रूड़की, जनपद–हरिद्वार।
15. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की–हरिद्वार को आगामी सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।